भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1658

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

नई रोशनी योजना

1658. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत सात वर्षों के दौरान नई रोशनी (विलय-पूर्व) और नेतृत्व एवं उद्यमिता घटकों के अंतर्गत महाराष्ट्र में लाभार्थियों की अपेक्षित संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में कार्यरत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईएएस)/प्रशिक्षण भागीदारों की सूची और उनकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के लिए इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): नई रोशनी योजना का शुभारंभ वर्ष 2012-13 में किया गया था और इसका उद्देश्य 'नेतृत्व विकास' हेतु महिला अधिकारों और कार्यकलापों के बारे में जागरूकता पैदा करके अल्पसंख्यक महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना था। प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं के लिए कार्यक्रमों से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्र जैसे- स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का पक्ष-समर्थन शामिल थे। नई रोशनी योजना का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से किया गया तथा सभी लाभार्थियों को 6 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 12 महीने तक की अवधि के लिए उन्हें सहायता प्रदान की गई। नई रोशनी योजना के अंतर्गत, शुरुआत से, पूरे भारत से लगभग 4.35 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

नई रोशनी योजना को एक एकीकृत योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, जो मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती कौशल और सशक्तीकरण योजनाओं को एकीकृत करती है और अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक स्तर की आकांक्षाओं तथा चुनौतियों और कौशल विकास, महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता तथा स्कूल ड्रॉपआउट के लिए शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ज़ोर देती है।

पीएम विकास योजना का नेतृत्व और उद्यमिता उप-घटक, "नेतृत्व एवं मूल उद्यमिता विकास" और "उद्यमिता विकास" पर क्रमशः 60 और 120 घंटे के तीन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, चयनित प्रतिभागियों को ''बिज़ सखी'' या ''उद्यमी मित्र'' बनने के लिए 240 घंटे का अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर अन्य महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं।

महाराष्ट्र राज्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नई रोशनी योजना के पैनल में शामिल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) की सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ): विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO), नीति आयोग ने नई रोशनी योजना पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया था और उक्त रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (url: https://minorityaffairs.gov.in/WriteReadData/RTF1984/7453566297.pdf) पर उपलब्ध है।

*****

अनुबंध-I

'नई रोशनी योजना' विषय पर श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1658 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र राज्य से नई रोशनी योजना के पैनल में शामिल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) की सूची
1	अलकामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी
2	आज इंडीविजुअल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन
3	अंजना बहुद्देशीय शिक्षण संस्था
4	अपूर्वा महिला सामाजिक संस्था
5	आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी
6	भगिनी निवेदिता शिक्षा समिति
7	भाग्यलक्ष्मी हेल्थ एंड एजुकेशन सोसायटी
8	आईसीए एडु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	लोकमान्य शिक्षा प्रसारक मण्डल
10	एम.ए. जयवंतराव पाटिल बहु उद्देशीय संस्था
11	ऑरेंज सिटी एजुकेशन सोसायटी
12	सार्क मल्टीपर्पज सोसायटी
13	द डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट
14	विदर्भ बहु-उदेशीय विकास संस्था

*****